

562

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 2015 निगरानी

सिग | 2937/I/15

श्री. आर. लाल शर्मा, 20170

द्वारा आज दि. 3/3/15 को

प्रस्तुत

वृत्त
गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. ग्वालियर

R. S. Singh
आर. लाल शर्मा
20170
3/3/15

1. जगदीश पुत्र गरीबे
 2. सुधर सिंह पुत्र विसम्बर सिंह
 3. राजेश पुत्र रमेश
 4. रामदीन पुत्र कल्याण
- निवासीगण - ग्राम पिपरसाना तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. धनदेवी पत्नी मेघ सिंह
2. वीरेन्द्र सिंह
3. दलीप सिंह पुत्रगण मेघ सिंह
निवासीगण ग्राम गडरौली तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.
4. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण



निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/ 2014- 15 / अ- 12 में पारित आदेश रा.नि. प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 07.03.2015 के विरुद्ध निगरानी

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

है:-


1. यहकि, आवेदकगण 1 के पति 2 व 3 के पिता स्व. मेघ सिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम पिपरसाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2937-एक/15

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	